बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

—:: संकल्प ::—

पटना—15 दिनांक.....

मो. मिर्जा आरिफ रजा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—107 / 19, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—4958 दिनांक—23.11.2021 एवं पत्रांक—1660 दिनांक—06.04.2022 द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 में भोजपुर जिला अंतर्गत अधिप्राप्ति धान की मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिलरों के साथ Deed of pledge के अंतर्गत संबंधित मिलरों से उनके द्वारा Title deeds of self-acquired/ inherited landed property and the ownership paper of mills in his possession which are been pledged by him as security नहीं प्राप्त करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए क्रमशः आरोप पत्र एवं संशोधित आरोप पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

मो. रजा के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र को गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ। तदुपरांत विभागीय पत्रांक—9583 दिनांक—15.06.2022 द्वारा मो0 रजा से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। मो0 रजा के पत्रांक—11 दिनांक—23.02.2024 द्वारा अपना बचाव का लिखित अभिकथन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

कालांतर में मो0 रजा के दिनांक—30.11.2022 को वार्धक्य सेवानिवृति को दृष्टिपथ में रखते हुए उनके सेवाकाल में चल रहे अनुशासनिक कार्रवाई को विभागीय संकल्प ज्ञापांक—7754 दिनांक—24.04.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

मो0 रजा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन की सम्यक् समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक—5471 दिनांक—03.04.2024 द्वारा प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, पटना द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया।

प्रधान सचिव—सह—विभागीय जांच आयुक्त, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—50 दिनांक—06.02.2026 द्वारा जांच प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया गया कि: —

"आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप अधिप्राप्ति वर्ष 2013–14 की है। आरोपी पदाधिकारी का जिला प्रबंधक के रूप में पदस्थापन अवधि दिनांक–25.02.2014 से 25.06.2014 तक का है। अधिप्राप्ति के संबंध में निगम मुख्यालय के पत्रांक–11067 दिनांक–12.12.2013 सह पठित निगम का पत्रांक–435 दिनांक–13.01.2014 लागू था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा निगम के पत्रांक–435 दिनांक–13.01.2014 के अनुसार ही एग्रिमेन्ट एवं डीड ऑफ प्लेज किया गया है। साथ ही एकरारनामा के साथ 03 मिलरों से 05 लाख की बैंक गारंटी, सम्पत्ति तथा मिल के कागजात, अंचल कार्यालय से निर्गत भू–मूल्यांकन प्रमाण पत्र, संबंधित वंशावली, राजस्व रसीद एवं मिल के मालिक से शपथ पत्र लिया गया था। मिल को दिये गये धान की राशि से कई गुणा ज्यादा मूल्य की अचल सम्पत्ति एवं बैंक गारंटी प्लेज के रूप में लिया गया है।

निगम मुख्यालय के पत्रांक–11067 दिनांक–12.12.2013 द्वारा दिये गये निदेश में प्लेजिंग को रजिस्टर कराने का स्पष्ट निदेश संबंधी साक्ष्य प्रशासी विभाग/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि आरोपित पदाधिकारी ने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया जिसके वजह से निगम को आर्थिक क्षति हुई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में डीड ऑफ प्लेज एवं एग्रीमेन्ट के संबंध में दिये गये निगम के निदेश का अक्षरशः अनुपालन किया गया है।

आर्थिक क्षति के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि तीनों मिलरों के विरूद्ध वसूलनीय राशि हेतु जिला निलाम पदाधिकारी के समक्ष निलामपत्रवाद दायर किया गया है, जो सुनवाई हेतु लंबित है। जिला निलाम पदाधिकारी द्वारा निलामपत्रवाद की राशि की वसूली हेतु संचालकों के विरूद्ध BW निर्गत किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया कि राइस मिलरों से प्राप्त किये गये कागजातों के आधार पर ही निलाम पत्र वाद दायर है तथा बकाया राशि लौटाने का क्रम प्रारंभ भी है। वसूली की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद मिलरों अथवा प्लेज कर्त्ता द्वारा एकरारनामा की वैधता को किसी भी फोरम पर चुनौती नहीं दी गयी है।

निगम को 1,68,86,214.00 रूपया की आर्थिक क्षति आरोपी पदाधिकारी के द्वारा तथाकथित रूप से नियमों का पालन नहीं करने के कारण नहीं उठानी पड़ी थी। मो0 रजा के विरूद्ध प्रतिवेदित दोनो आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा अप्रमाणित बताया गया है।

मो0 रजा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो. मिर्जा आरिफ रजा, बि0प्र0से0, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने की अनुशंसा करते हुए यह निर्णय मो0 मिर्जा आरिफ रजा के संदर्भ में प्रभावी होने एवं पूर्वोदाहरण नहीं माने जाने का भी निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो. मिर्जा आरिफ रजा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–107/19, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि मो. मिर्जा आरिफ रजा के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/आरोप–01–98/2021, सा0प्र0 6627 **/पटना, दिनांक** 13.11.26

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव–सह–विभागीय जांच आयुक्त, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/उप महाप्रबंधक, प्रशासन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/ कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/मो. मिर्जा आरिफ रजा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–107/19, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत पता–बड़ा बाग, चंदबारा, नजदीक बनारस बैंक चौक, पोस्ट मुजफ्फरपुर, थाना–मुजफ्फरपुर टाउन, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–842001, मो0 9431208365/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई०टी० मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/11/26

सरकार के अपर सचिव।